

## समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन पत्र

निर्देश : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी निम्नवत् है।

1. पारिवारिक लाभ ऐसे शोक संतप्त परिवार के लिए अनुमन्य है, जहाँ उस परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 वर्ष से 64 वर्ष अर्थात् 18 वर्ष की आयु से अधिक और 65 वर्ष की आयु से नीचे के वर्ग में हुई हो।
2. मुख्य जीविकोपार्जनकर्ता उस परिवार का सदस्य अथवा महिला होगी, जिसकी आय का अंशदान कुल पारिवारिक आय का सबसे बड़ा होगा।
3. इस योजना के लिए शोक संतप्त परिवार वह माना जायेगा, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे परिवारों में से एक होगा अर्थात् वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार की वार्षिक आमदनी रु0 11,000/- एवं शहरी क्षेत्र में वार्षिक आमदनी 11,850/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु अधिकतम आर्थिक सहायता सभी पात्र स्वाभाविक/असामयिक मृत्यु के मामलों में रु010,000/-होगी।
5. पारिवारिक लाभ मृतक के ऐसे सदस्य को दिये जायेंगे, जिसे स्थानीय जाँच के पश्चात् परिवार का मुखिया निर्धारित किया जायेगा। योजना के प्रयोजन हेतु परिवार शब्द से पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियाँ और आश्रित माता-पिता अभिप्रेत होंगे।
6. पारिवारिक लाभ के लिए पात्रता के बारे में आवेदक द्वारा झूठी अथवा गलत सूचना के आधार पर किये गये भुगतान को विभाग द्वारा वसूल करने को अधिकार होगा।

## आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पूरा पता : ग्राम/मुहल्ला ..... पोस्ट .....  
विकास खण्ड ..... तहसील..... जिला.....
4. मृतक का नाम विवरण  
(क) मृतक का नाम .....
- (ख) पिता/पति का नाम .....
- (ग) जाति .....मृत्यु के समय आयु.....
- (घ) मृत्यु का दिनांक.....
- (ङ0) मृत्यु का स्थान .....
- (च) मृतक का व्यवसाय ..... मासिक आय.....
- (छ) मृत्यु का कारण (स्वाभाविक या असामयिक).....
- (ज) असामयिक मामले में दुर्घटना का प्रकार .....
- (झ) क्या शव का परीक्षण किया गया है, यदि हाँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न किया जाय।
5. परिवार के मुखिया का नाम .....
6. आवेदक का नाम, मृतक से सम्बन्ध .....

वि०ख०अ०/तह०  
द्वारा सत्यापित फोटो  
लगायें

### आवेदक द्वारा शपथ

7. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि,  
(1) मैं मृतक ..... का हिताधिकारी तथा उसके शोकाकुल परिवार का/की मुखिया हूँ और मृतक मेरे परिवार की आय का मुख्य साधक था।  
(2) मेरा परिवार गरीबी रेखा के अन्तर्गत आता है और मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं।

यदि उपरोक्त सूचनायें असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जायें तो ऐसे आधार पर भुगतान की गयी पारिवारिक लाभ की आर्थिक सहायता की राशि मुझसे राजस्व देयों की भाँति वसूल कर ली जाय।

दिनांक :

आवेदक के (परिवार के मुखिया)  
का हस्ताक्षर/निशान अंगूठा

स्थान :

नाम .....

पिता/पति का नाम .....

ग्राम/मोहल्ला.....

पोस्ट.....

जिला—सुलतानपुर

## आवेदन-पत्र की सत्यापन आख्या

( आवेदन-पत्र के सत्यापन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/लेखपालों/ग्राम प्रधान/सभासद ग्राम विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी सक्षम सत्यापन अधिकारी होंगे। )  
सत्यापन आख्या निम्नलिखित है :-

- 1- मृतक स्व० श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी ..... जाति .....  
ग्राम/मुहल्ला .....
- पोस्ट ..... थाना ..... विकास खण्ड ..... तहसील .....  
..... जिला सुलतानपुर की निवासी है, जिसकी मृत्यु दिनांक ..... को हुई है।
- 2- मृत्यु का प्रकार (स्वाभाविक या असामयिक) .....
- 3- मृतक से आवेदक का पारिवारिक सम्बन्ध .....(पुत्र, पिता, पत्नी, माता, पिता)
- 4- मृतक गरीबी रेखा के अन्तर्गत बसर करने वाले परिवार से सम्बन्धित है/सम्बन्धित नहीं है .....
- 5- मृतक श्री/श्रीमती की मृत्यु का अंकन मृत्यु पंजी में रजिस्ट्रीकरण संख्या .....पर पंजीकृत है तथा मृत्यु के समय मृतक की आयु ..... वर्ष थी।
- 6- श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी ..... मृतक के शोकाकुल परिवार की मुखिया है/नहीं है।
- 7- आर्थिक सहायता हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण सत्य पाये गये/सत्य नहीं पाये गये और ये योजना के लिए पात्र/पात्र नहीं है।

दिनांक :

(स्थलीय सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

नाम .....  
पदनाम .....  
विकास खण्ड .....  
तहसील .....

(सील)

**जाँच/संतुष्टि के लिए खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार की जाँच/संस्तुति**

( ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र के लिए तहसीलदार सक्षम अधिकारी होंगे। )

- 1- आवेदन पत्र के सत्यापन अधिकारी श्री ..... पदनाम ..... की सत्यापन आख्या की जाँच मेरे द्वारा की गई, जिससे मैं सन्तुष्ट हूँ।
- 2- आवेदनकर्ता श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी ..... निवासी ग्राम/मुहल्ला..... पोस्ट ..... विकास खण्ड ..... तहसील ..... जिला सुलतानपुर, मृतक के शोकाकुल परिवार की मुखिया है, और ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत रूपया ..... (शब्दोंमें ..... ) की सहायता पाने का पात्र है, जो आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

( अथवा )

निम्नलिखित कारणों से आर्थिक सहायता पाने की पात्र नहीं है :-

कारण (1) ..... (2) .....

हस्ताक्षर खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार  
( सक्षम जाँचकर्ता/संस्तुतिकर्ता अधिकारी )  
नाम .....  
पदनाम .....

(सील)

## स्वीकृति आदेश

खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार की संस्तुति के आधार पर मृतक श्री/श्रीमती .....के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि रू० ..... (शब्दों में ..... ) की आर्थिक सहायता उसके परिवार के मुखिया सदस्य श्री/श्रीमती .....पुत्र/पत्नी ..... निवासी ग्राम/मुहल्ला ..... पोस्ट ..... विकास खण्ड .....तहसील ..... जिला सुलतानपुर को भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक :

( हस्ताक्षर उपजिलाधिकारी/सक्षम स्वीकृतिकर्ता अधिकारी )

नाम .....

पदनाम .....

( सील )

